

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट—<u>http://www.mpseiaa.nic.in</u> दूरभाषनं. — 0755—2466970, 2466859 फैक्सनं. — 0755—2462136

No:4/4/SEIAA/2025 Date: 24/05/2025

प्रति,

M/s The MP State Mining Corporation Limited, Shri Sushil Pathak, Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011 E-mail - katnimpsmcl@gmail.com

निषय:- Proposal No. SIA/MP/MIN/479249/2024- Case No. P2/404/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method) in an area of 14.730 ha., for production Capacity of 212112 cum per year, Khasra No. 46, Village – Godhankap, Tehsil - Barhi, District - Katni (M.P.) by M/s The MP State Mining Corporation Limited, Shri Sushil Pathak, Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District – Bhopal (M.P.) – 462011.

विषयान्तर्गत प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सिहत पर्यावरण अनुमित प्रदान किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण दिनांक 08.06.2024 को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को अग्रेषित किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की बैठक में विचारण नहीं होने के कारण 45 दिवस से अधिक की अविध समाप्त हो गई है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के पैरा 8 की कंडिका (iii) इस प्रकार है - "In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in subparagraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned."

अतः ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार उक्त प्रकरण में SEAC की 765वीं बैठक दिनांक 07.06.2024 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सिंहत पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को अंतिम निर्णय मानते हुए राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा "Deemed Approval" माना जाकर पर्यावरण अनुमित दी जाती है। तद्नुसार प्रकरण में ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेत् आप स्वतंत्र हैं।

(प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित)

(श्रीमन् शुक्ला) कार्यपालन संचालक, एप्को एवं सदस्य सचिव, SEIAA पृ. क्र. 415 /SEIAA/2025 भोपाल दिनांक - 24/05/2025

प्रतिलिपि:-

- 1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोइ, नई दिल्ली - 1100031
- 3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
- 4. अध्यक्ष, SEIAA, एप्को पर्यावरण परिसर भोपाल (म.प्र.)।
- 5. अध्यक्ष SEAC, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)।
- 6. सदस्य सचिव, SEAC एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल।
- 7. कलेक्टर, जिला कटनी (म.प्र.)।
- 8. वन मंडलाधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)।
- 9. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
- 10. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल 462002।
- 11. खनिज अधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)।
- 12. संबंधित फाईल।

की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन संचालक, एप्को एवं सदस्य सचिव, SEIAA



रिपोर्ट में स्थिति	सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—14 के सरल क्रमांक—04 एवं पेज नं.—56 के सरल क्रमांक—04 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 30 / 05 / 2024, को संपन्न हुई ।
	आपित्तयाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा सिमिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 8.750 हेक्टेयर पार्वती नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिसम्बर 2021 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें पूरा खनन क्षेत्र पानी में इ्बा हुआ है, परियोजना प्रस्तावक खनिज अधिकारी से "वर्तमान स्थिति में जियोटेक फोटोग्राफ, सिहत स्पष्ट अभिमत दें कि कितनी रेत उपलब्ध होगी तथा विगत वर्षों में कितनी रेत ई. सी. के विरुद्ध निकाली गई है, सर्वेक्षण रिपोर्ट सिहत स्पष्ट जानकारी अभिलेखीय आधार" पर प्राप्त कर प्रस्तुत किया जावे । ADS

52. Case No. P2/404 SUSHIL PATHAK, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for 14.730 Hectare, Khasra No.- 46, in Village - GODHANKAP, Tehsil - Barhi, District - Katni (MP), Maximum Production - 212112 cum per annum

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु ील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिर्सच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक	द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु ील कुमार पाठक कनिः	रठ प्रबंधक
	(अधिकृत व्यक्ति)	
	मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खा	नेज निगम लि.
	पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक	ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स,
	भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	खसरा नं. – 46	क्षेत्रफल —
(सरकारी / निजी)	(गासकीय भूमी नदी)	14.730 हੇ.
स्थल	ग्राम – गोधनकाप, तहसील –ब	रही़, जिला – कटनी (म.प्र.)

लीज स्वीकृति मध्यप्रदे । शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक — एफ—19—2—2019—बारह—1 पार्ट—6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिऐ आवंटित । लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो) स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर माईनिंग प्लान, डी.एस.आर. एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये । अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति प्रकरण की स्थिति पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू लागू नहीं ।
31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिऐ आवंटित । लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो) नया प्रोजेक्ट । स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर माईनिंग प्लान, डी.एस.आर. एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये । अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति प्रकरण की स्थिति बी—1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक— 24/10/2023
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो) नया प्रोजेक्ट । स्वीकृत माईनिंग प्लान / डी एस आर आईनिंग प्लान, डी.एस.आर. एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोडे गये । अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति प्रकरण की स्थिति बी—1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक— 24 / 10 / 2023
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति प्रकरण की स्थिति बी—1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट पर्यावरण सलाहकार या उनके स्थल का नाम गोधनकाप रेत खदान, अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक— 24/10/2023
अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति प्रकरण की स्थिति बी—1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट पर्यावरण सलाहकार या उनके स्थल का नाम गोधनकाप रेत खदान, अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक— 24/10/2023
प्रकरण की स्थिति बी—1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट पर्यावरण सलाहकार या उनके स्थल का नाम गोधनकाप रेत खदान, अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक— 24/10/2023
पर्यावरण सलाहकार या उनके स्थल का नाम गोधनकाप रेत खदान, अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक— 24 / 10 / 2023
अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक— 24/10/2023
ि निक— 24 / 10 / 2023
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागु लागु नही ।
हो)
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें। सिया द्वारा गोधनकाप रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक
12/03/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष
प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत — 2,12,112 घनमीटर / वर्ष हेतु
आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार
रेत — 2,12,112 घनमीटर ∕ वर्ष हैं।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल
प्रमाण-पत्र कमांक २१८२ दिनांक २१/०९/२०२३ के अनुसार
500 मीटर की परिधि में (04) अन्य खदान संचालित / स्वीकृत
हैं। जिनका रकबा 35.63 हे. हैं। इस प्रकार कुल रकबा 50.36
हे. हैं, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापित्त कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल
प्रमाण-पत्र क्रमांक २१८२ दिनांक २१/०९/२०२३ के अनुसार
10 किलो मीटर की परिधि में ने ानल पार्क / अभ्यारण्य / ईको
सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । एवं 250
मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल
प्रमाण-पत्र क्रमांक २१८२ दिनांक २१/०९/२०२३ के अनुसार
500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट / ौक्षणिक
संस्था / चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर / राश्ट्रीय महत्व के
रमारक / रेलवे लाइन / सार्वजनिक भवन / ाम गान घाट /
राश्ट्रीय राजमार्ग / राज्य मार्ग / संवेदन ील क्षेत्र जैसे—
रेडियो स्टे ।न / दूरद नि / हवाई अड्डा प्रतिरक्षा संस्थान

	इत्यादि स्थित नहीं हैं एवं 500 मीटर की परिधि के अंदर अन्य कोइ नदी / तालाब / नहर / बांध / स्टॉपडैम / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / जलीय निकाय / नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत की अनापत्ति	ग्राम सभा की बैठक नदावन, जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 26/01/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नही है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम ।	महानदी नदी । खदान क्षेत्र का अधिकां । भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	18 / 09 / 2023
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—30 के सरल क्रमांक—45 एवं पेज नं.—38 के सरल क्रमांक—45 पर दर्ज है । प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 24/05/2024, को संपन्न हुई ।
	आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। खनन क्षेत्र कुल 14.730 हेक्टेयर नेवज नदी पर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनवरी 2024 की गूगल ईमेज प्रस्तुत की गई जिसमें पूर्व दिशा में 2.8 कि.मी. दूरी पर ब्रिज है । नदी के सतत् जल प्रवाह को बनाये रखने हेतु 3.17 हे. क्षेत्र गैर खनन हेतु छोड़ने पर 11.56 हे. माईनेबल एरिया बचत है । अतः खनन कार्य हेतु डी.एस.आर. में गहराई 2.4 मीटर व माईनिग प्लान में गहराई 2.4 मीटर दर्शाई गई है को देखते हुये 212112 घनमीटर/वर्ष अनुशंसित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से सिमिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत — 212112 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूँचाई जायेगी।
- 2. रेत निकासी परिवहन मार्ग विद्यालय, चिकित्सालय, आंगनबाडी केन्द्र, या सघन रहवासी क्षेत्र के पास से नहीं होना चाहिए । रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- 3. खनिज विभाग द्वारा LOI में जो भी उत्पादन मात्रा दी गई है वह किसी भी स्थिति में डी. एस.आर. की मात्रा से ज्यादा नहीं होगी । उत्खनन क्षमता का निर्धारण डीएसआर में दी गई मात्रा के आधार पर लिया जायें ।
- 4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, अतःयदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन प्रतिवेदन 06—06 माह में सिया को प्रस्तुत करेंगें एवं जिला खनिज अधिकारी 01 वर्ष में पालन प्रतिवेदन सुनिश्चत करायेगे तथा मध्यप्रदेश राज्य खनिज कार्पोरेशन इसकी निगरानी करेंगें।
- 5. ई. सी. का कम्पलाइंस 01 वर्ष में नहीं होना पाया जाता है तो ,खनिज अधिकारी विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर माइनिंग कार्पोरेशन को अवगत करायेंगे ।
- 6. नई ई. सी. के अन्तर्गत जारी शर्तों का पालन ई. सी. में दी गई अवधि के अन्दर माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावे तथा सिया को अवगत कराया जावे।
- 7. खदान संचालन गुरूकरने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
- 8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना, सी.ई.आर एवं वृक्षारोपण का प्रस्तुत योजना अनुसार अनुपालन किया जायें ।

S.No	Particulars	Capital	Recurring Cost (Rs)
		Cost (Rs)	(===)
	FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION	ON ON	
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		1,80,000
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	Plantation at the boundary of the river. @ (6900X150=	15,85,000	158500

	Rs. 150/plant.	₹10,35,000)		
	b) Plantation at the haulage road: @ Rs.	(300X500=		
	500/plant.	₹ 1,50,000)		
	c) Plantation in the nearby village area	(8000X50 =		
	and distribution to villagers @	₹ 4,00,000)		
	Rs.50/plant			
4	Half yearly PUC certification for trucks ($Trucks \times 500 \times 2$ times in a year)	@500/truck (98		98,000
	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water	twice in a year)		
	Pollution Monitoring			20.000
5	i) Air pollution			30,000
	ii) Water pollution			30,000
	iii) Soil Pollution			20,000
	iv) Noise Pollution			20,000
	Drinking Water Facility for labour and s	`		
6	cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler).	Total Workers	90,000	10,000
	deployed are 113			
7	Separate Toilets for Male and Female @15	1000×2 and Rs.	30,000	3,000
-	3000/year for Maintenance.	1 . 11		,
8	Grazing Land development (Native p	•		
	species Such as Dichanthium, Puniya (Seh		-	
	and Themeda etc. will be planted for g	rassiand/iodder		
9	development on Charnoi Land. Regular Medical Check-up of workers	@500/worker		
9		_	-	1,13,000
10	(twice in a year) (For 113 Labors -113× 500 × 2) First Aid Box & Firefighting equipment's @20000 × 1 &			
10	Rs. 2000/year for Maintenance.	(a)20000 × 1 &	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs	s. 1500/worker.	1,69,500	10,000
11	(For 113workers - 113× 1500)		1,09,300	10,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 S	•	50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management		10,000	2,000
	system			_,
	Miscellaneous Expenses such as follows:			
14	One solar light, (@ Rs. 8000/light)	23,000	5,000	
	2 Web Camera, (per camera.@3500 rupee	,	,	
	Display Board at mine entrance.	1 37		
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjw	_	6,000	
	Labours which results no fuel wood wil	· 		

	source	of	energy	by	mineworkers.	<u>a</u>	3000	Rps		
	/Connection.									
	To reduce carbon footprint sequestration 16 16(A) Village Farmers For Trees Adaptation 2,00,000 2,00,000									
16					2,00,000					
16(B) Distribution of LED Bulb 20,000			20,000	-						
		Total				25,03,500/-	9,46,500/ -			

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. **2.0** लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम पंचायत भवन गोधनकाप के निर्माण कार्य हेतु 2,00,000 रुपये की राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में भू—प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	2,00,000
कुल	2,00,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 7200 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 8000 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास 4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	6900
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के	300

		साथ)	
3	ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	8000
	क्	15200	

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड को काटा / उखाडा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

53. Case No. 11278/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Luharwara-2 Sand Quarry in an area of 7.00 ha. (105000 cum per year) (Khasra No. 505), Village-Luharwara, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) [444522]

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 07/06/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री सु ील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदे । राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिर्सच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सु ील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक

- and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on upstream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river......bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
- 38. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेथ स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिध्चित किया जावेगा।
- 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the